भारत सरकार

सहकारिता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 4304

29 मार्च, 2022 को उत्तरार्थ

वर्तमान सहकारिताओं का बहु-राज्य सहकारी समितियों के रूप में विस्तार

4304. श्री अण्णासाहेब शंकर जोल्ले:

क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का सहकारिता मंत्रालय की स्थापना के प्रमुख कारणों के रूप में सहकारिताओं के बहु-राज्य सहकारी समितियों के रूप में विस्तार को सुविधाजनक बनाने और सहकारी समितियों के लिए व्यवसाय करने में आसानी हेतु प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने तथा बहु-राज्य सहकारी समितियों के विकास को सक्षम बनाने का विचार है, तथा हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार को उन समितियों को पहचानने और वर्गीकृत करने की आवश्यकता महसूस हुई है जो रोजगार सृजन, उनके सदस्यों की वित्तीय स्वतंत्रता, महिला सशक्तिकरण और अन्य उल्लेखनीय सामाजिक रूप से जिम्मेदार कार्यों के संदर्भ में समाज पर वास्तविक प्रभाव डालती है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का स्थापित बहु-राज्य सहकारी समितियों को उनके क्षेत्रों (राज्यों) के दायरे को बढ़ाने, सुविधा प्रदान करने और उनकी सहायता करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के जीवन को प्रभावित करने वाली सहकारी समितियों के ऐसे प्रस्तावों पर ध्यान देने के लिए कोई समर्पित टीम है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सहकारिता मंत्री (श्री अमित शाह)

(क) एवं (ख): नया मंत्रालय "सहकारिता मंत्रालय" अन्य बातों के साथ-साथ "सहकार से समृद्धि की ओर" लक्ष्य को साकार करने, सहकारी आंदोलन को सुदृढ़ करने तथा जमीनी स्तर तक अपनी पहुंच को गहरा करने, सहकारी आधारित आर्थिक विकास मॉडल को बढ़ावा देने के

अधिदेश के साथ बनाया गया है, जिसमे देश के विकास के लिए अपने सदस्यों के बीच जिम्मेदारी की भावना, उचित नीति का निर्माण, कानूनी और संस्थागत ढांचा आदि शामिल है।

इसके अलावा, सरकार ने केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों, राज्य सरकारों, सहकारी संघों आदि सहित हितधारकों के परामर्श से नई योजनाएं और नई सहकार नीति तैयार करने के लिए कई कदम उठाए हैं। नई नीति में नई सहकारी समितियों को बढ़ावा देने और देश के जमीनी स्तर तक पहुंचने के माध्यम से एक सच्चे जन-आधारित आंदोलन के रूप में गहरा करने की परिकल्पना की गई है।

(ग): बहुराज्य सहकारी समितियों का कार्यश्रेत्र अनुरोध किए गए आवेदन तथा बहुराज्यीय सहकारी समिति अधिनियम, 2002 तथा इसके अंतर्गत बनायीं गई नियमावली के प्रावधानों के आधार पर बढाया जाता है।

(घ): उपरोक्त उल्लेखित विवरण अधिदेश के अनुसार, एक अलग सहकारिता मंत्रालय बनाया गया है। मंत्रालय में पर्याप्त संख्या में पद सृजित किए गए हैं।

*****